



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-06.08.2024

विषय:- दुष्कर्म करने व अश्लील फोटो वायरल करने के मुकदमे मे वांछित अभियुक्त विशाल कुमार थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व मे थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0261/2024 धारा 376 भा0द0वि0 व 67 आई0टी0 एक्ट थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी से सम्बंधित नामजद वांछित अभियुक्त विशाल कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी कुरहुआँ थाना रोहनिया जनपद वाराणसी को आज दिनांक-06.08.2024 को समय करीब 08.55 बजे आयर नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया । उक्त सम्बन्ध में थाना चोलापुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण- दिनांक-04.08.2024 को वादिनी मुकदमा/पीड़िता की माँ ने प्रतिवादी विशाल द्वारा वादिनी मुकदमा की पुत्री को होटल में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने तथा भाई के मोबाइल पर फोटो वायरल करने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना चोलापुर मे मु0अ0सं0-0261/2024 धारा 376 भा0द0वि0 व 67 आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना चौबेपुर द्वारा सम्पादित की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विशाल कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी कुरहुआँ थाना रोहनिया जनपद वाराणसी, उम्र करीब 19 वर्ष ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- आयर नहर पुलिया के पास से दिनांक-06.08.2024 को समय करीब 08.55 बजे ।

बरामदगी का विवरण- जामा तलाशी से 510/- रूपया नगद तथा 01 अदद मोबाइल बरामद ।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-0261/2024 धारा 376 भा0द0वि0 व 67 आई0टी0 एक्ट थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1- उ0नि0 लल्लन सिंह यादव थाना चोलापुर कमिश्नेट वाराणसी ।
- 2- हे0का0 दिनेश कुमार यादव थाना चोलापुर कमिश्नेट वाराणसी ।
- 2- का0 अजय कुमार यादव थाना चोलापुर कमिश्नेट वाराणसी ।



सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नेट वाराणसी ।